संख्या-372/2021/395ई/23-11-2021-1/2(82)/2015

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2021**

विषय:- जनपद उरई में जालौन कोंच मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) के कि0मी0 1 से 23.066 तक सी0सी0 द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 23.066 कि0मी0) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ का पत्र सं0-100/पी0जे0-11/15पी0जे0(2)/21, दिनांक 09-02-2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद उरई में जालौन कोंच मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) के कि0मी0 1 से 23.066 तक सी0सी0 द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 23.066 कि0मी0) की मूल स्वीकृति शासनादेश सं0-280(1)/23-11-2015-1/2(82)/15, दिनांक 16-12-2015 द्वारा लागत रू0 4961.64 लाख की प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण पुनरीक्षित आंकलित लागत रू0 6130.57 लाख (रू0 इकसठ करोड़ तीस लाख सत्तावन हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित स्वीकृत लागत
1	जनपद उरई में जालौन कोंच मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) के कि0मी0 1 से 23.066 तक सी0सी0 द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 23.066 कि0मी0)।	4961.64	6130.57

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) विभाग द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(8) प्रायोजना की लागत का में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाए कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 से सम्मिलित न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) प्रायोजनान्तर्गत भू-अध्याप्ति (0.45806 हे0) हेतु रू0 354.20 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है जिसे यथावत अनुमन्य कर दिया गया है। इन कार्य मदों हेतु न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन विभाग द्वारा अपने उत्तरदायित्व पर किया जायेगा।

(10) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(12) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाय। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकतानुसार ही किया जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

2- उपरोक्त परियोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश सं0-280(1)/23-11-2015-1/2(82)/15, दिनांक 16-12-2015 की शेष प्रतिबन्ध/शर्तें यथावत रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0-ई-8-565/दस-2021, दिनांक 31 मार्च, 2021 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या-372/2021/395ई(1)/23-11-2020-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम्/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम्/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
6- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
8- वित्त व्यय (नियन्त्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
9- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10- महाप्रबन्धक, संबंधित रेलवे।
11- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
12- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in